इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257] भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 जून 2014—आषाढ़ 7, शक 1936

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ 4(ई) 1-2001-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (क्रमांक 26 वर्ष 1961) की धारा 21 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसका प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963 में, उपाबंध में, अनुक्रमांक 14-ए में शब्द "58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक को कोई कर्मचारी नियोजक की सेवा में से सेवानिवृत्त हो जाएगा. 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिनांक के पश्चात् भी नियोजक द्वारा वह सेवा में रखा जा सकेगा यदि उपक्रम के हित में उसकी सेवाएं आवश्यक हों," के स्थान पर शब्द—"60 वर्ष की आयु प्राप्त करने की दिनांक को कोई कर्मचारी नियोजक की सेवा में से सेवा निवृत्त हो जाएगा," प्रतिस्थापित किया जाता है. तथा प्रथम "परंतुक" में शब्द — "परंतु यदि सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से कम न हो" के स्थान पर शब्द — "परंतु यदि सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से कम न हो" प्रतिस्थापित किया जाता है तथा इस परंतुक के अंत में शब्द "परंतु यह और कि राज्य शासन के निगमों, मंडलों एवं उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु पर यह संशोधन लागू नहीं होगा." जोड़े जाते हैं.

No. F. 4(E) 1-2001-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 21 of the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1963 the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 21 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1963 in the Annexure, in serial number 14-A, the words "An employee shall retire from the service of the employer on the date he attains the age of 58 years. He may, however, be retained in service by the employer after the date of attaining the age of 58 years if his services are necessary in the interest of the undertaking," shall be replaced by the words "An employee shall retire from the service of the employer on the date he attains the age of 60 years, and in the first proviso the words "if the age of retirement is not less than 58 years" shell be replaced by the words "if the age of retirement is not less than 60 years" and at the end of this proviso the words "provided further that this amendment shall not apply to the employees of Corporations, Boards and Undertakings of the State Government." shall be added.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वार्ष्णेय, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014